प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,
उप सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊ::दिनांक: 10 सितम्बर, 2021**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-119-04-0418-उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशि रू0-4000.00 लाख को अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक-47/बजट/2021-22, दिनांक: 27.08.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त के संबध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-119-04-0418-उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0-4000.00 लाख के सापेक्ष माहवार फेजिंग करते हुए माह अगस्त एवं सितम्बर हेतु आवश्यक धनराशि रू-2002.00 लाख (रूपये बीस करोड. दो लाख मात्र) को अवमुक्त कर प्रशासकीय स्वीकृति के साथ आपके निर्वतन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है, जिसका विवरण निम्नवत है :-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	**अनुदान सं0/लेखाशीर्षक**	**मद संख्या**	**वित्तीय वर्ष 2021-22 में आय-व्ययक प्राविधान**	**अवमुक्त की जा रही धनराशि**
1	अनुदान संख्या-10-2401-फसल कृषि कर्म-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-04-फल-0418-उ0प्र0खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017	04-यात्रा व्यय	1.00	0.50
		08-कार्यालय व्यय	1.00	0.50
		09-विद्युत देय	1.00	0.50
		11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	1.00	0.50
		12-कर्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	3.00	1.50
		15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि खरीद	5.00	2.00
		16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	5.00	5.00
		18-प्रकाशन	5.00	2.00
		27-सब्सिडी	3866.00	1933.00
		42-अन्य व्यय	5.00	2.00
		44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	100.00	50.00
		46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	3.00	1.50
		47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	2.00	1.00
		58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	2.00	2.00
	योग-		**4000.00**	**2002.00**

(रूपया बीस करोड़ दो लाख मात्र)

.....2/-

http://shasanadesh.up.gov.in

1. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित धनराशि के सापेक्ष जो भी कार्य कराये जायेंगे वो अपने आप में पूर्ण होंगे तथा कोई शासकीय देयता सृजित नहीं होगी।
2. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग/वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का कोषागार से आहरण एवं व्यय तभी किया जायेगा, जब तक यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद योजना के कार्यक्रमों का संचालन किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना के दिशा-निर्देशों/गाईड लाईन एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।
4. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा चयनित लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।
5. प्रस्ताव में आकड़ों की शुद्धता का दायित्व निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग/वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का होगा।
6. प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग/वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का उत्तरदायित्व रहेगा।
7. धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।
8. जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
9. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग/वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें। जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय।
10. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग/वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।
11. कोषागार से एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
12. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
13. धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.3.2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवयार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

14- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-1-998/दस-2021-2022, दिनांक 09.09.2021में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

.....3/-

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-93/2021/730(1)/58-2-2021, तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, सत्यनिष्ठा भवन, 15, थार्न हिल रोड, प्रयागराज ।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) वित्त नियंत्रक/आहरण एवं वितरण अधिकारी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in